



न्यायालय सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट बहेड़ी, बरेली।

उपस्थित: श्री विजय शंकर गौतम

Judicial Officer Code-UP03454

उ०प्र० न्यायिक सेवा,

C.N.R. No. UPBR180000292008

सरकार

बनाम

सुन्दर लाल आदि

फौ०वाद सं० 1446/2008

एन०सी०आर०सं० 80/2008

मु०अ०सं० 312/2008

अन्तर्गत धारा-323,324,504 भा०दं०सं०

थाना शीशगढ़, जिला बरेली।

### निर्णय

1. थाना शीशगढ़ जिला बरेली के मु०अ०सं० 312/2008 से उद्भूत प्रकरण में अभियुक्तगण सुन्दर लाल एवं राजीव पुत्रगण नत्थू लाल, निवासी ग्राम बंजरिया, थाना शीशगढ़, जिला बरेली के विरुद्ध धारा 323,324,504 भा०दं०सं० के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लेकर विचारण कार्यवाही प्रारम्भ हुई।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मोरकली पत्नी चेताराम बंजरिया थाना शीशगढ़ की निवासिनी है। घटना दिनांक 16.11.08 समय करीब 6 बजे शाम ग्राम बंजरिया थाना शीशगण, बरेली की है। मेरा मकान व मुल्जिमों का मकान पास पास है। मेरे मकान के पीछे मेरी दीवार के सहारे पुट्टीमान बना है। जिसको काट मुल्जिमों नाली पानी निकालने को बनाई है। बरवक्त घटना जब वह पुट्टीमान काटकर नाली से मिट्टी निकाल रहे थे, तो मैंने ऐसा करने को साफ मना किया, तो उन्होंने मुझे बुरी बुरी गाली दी, गाली देने से मना करने पर मुझे मारने पीटने लगे, तो मैंने उनकी खुरपी पकड़ ली इतने में मेरे पति आ गये, तो उन्होंने भी मारा जिनके सिर में चोट लगी है। हम लोगों ने शोर मचाया तो गांब के बहुत से लोग आ गये, जिन्होंने वाक्या देखा और मुझे बचाया है। मेरी रपट लिख कर कानूनी कार्यवाही की जाए।
3. वादिनी मुकदमा की जुबानी सूचना के आधार पर दिनांक 17.11.2008 को थाना शीशगढ़ जिला बरेली में अभियुक्तगण सुन्दर लाल एवं राजीव के विरुद्ध एन०सी०आर०सं० 80/2008 अन्तर्गत धारा 323,504 भा०दं०सं० पंजीकृत हुआ, जो मजरूब के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 324 भा०दं०सं० की वृद्धि कर मु०अ०सं० 312/2008 अन्तर्गत धारा 323,504,324 भा०दं०सं० में तरमीम होकर मामले की विवेचना एस०आई० जे.एस. रन्धावा को सौंपी गई। विवेचक ने दौरान विवेचना साक्षीगण के बयान अंकित किये तथा घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया तथा संपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करके अभियुक्तगण सुन्दर लाल एवं राजीव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र धारा 323,324,504 भा०दं०सं० में प्रस्तुत कर उचित दण्ड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया।
4. आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण सुन्दर लाल एवं राजीव के विरुद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को विचारण हेतु आहुत किया गया। अभियुक्तगण सुन्दर लाल एवं राजीव न्यायालय में उपस्थित आये और अपनी अपनी जमानतें करायी। अभियुक्तगण पर आरोप धारा 323,324,504 भा०दं०सं० दिनांक 12.06.2012 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार करते हुए, विचारण की मांग की गयी।
5. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए साक्षी पी०डब्लू० 01, मोरकली (वादिनी मुकदमा/शिकायतकर्ता), साक्षी पी०डब्लू० 02, नरेशपाल

सिंह(एफ.आई.आर. लेखक), पी0डब्लू0 03, डॉ0 जय प्रकाश(चिकित्सक), पी0डब्लू0 04, चेताराम एवं पी0डब्लू0 05, जसबन्त सिंह रन्धावा(विवेचक) को परीक्षित कराया गया।

6. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में एन.सी.आर. प्रदर्श क-1, जी०डी० रपट सं० 21 समय 12.50 बजे प्रदर्श क-2, तरमीमी जी०डी० कार्बन प्रति रपट सं० 26 समय 16.45 बजे प्रदर्श क-3, मेडिकल मजरूब चेताराम प्रदर्श क-4, मेडिकल वादिनी मुकदमा मोरकली प्रदर्श क-5, नक्शा नजरी प्रदर्श क-6, आरोप पत्र प्रदर्श क-7 प्रस्तुत किये गये।

7. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए साक्षी पी.डब्लू. 01, मोरकली (वादिनी मुकदमा) को परीक्षित कराया गया जिसके द्वारा जुबानी सूचना के आधार पर दर्ज एन.सी.आर. प्रदर्श क-1 को अपने साक्ष्य से साबित किया गया है। साक्षी पी.डब्लू.-2, नरेशपाल सिंह (एफ.आई.आर. लेखक) द्वारा जी०डी० रपट सं० 21 समय 12.50 बजे प्रदर्श क-2, तरमीमी जी०डी० कार्बन प्रति रपट सं० 26 समय 16.45 बजे प्रदर्श क-3, को अपने साक्ष्य से साबित किया गया है। साक्षी पी.डब्लू.-3, डॉक्टर जय प्रकाश (चिकित्सक) को परीक्षित कराया गया जिसके द्वारा चिकित्सकीय प्रपत्र उपहति आख्या प्रदर्श क-4 व प्रदर्श क-5 को अपने साक्ष्य से साबित किया गया है। साक्षी पी.डब्लू.-5, जसवन्त सिंह रन्धावा(विवेचक) द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श -6 व आरोप पत्र प्रदर्श क-7 को साबित किया गया है।

8. अभियुक्तगण सुन्दर लाल एवं राजीव का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र० सं० दिनांक 05.01.2019 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा घटना को गलत बताते हुए सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

9. मैंने सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

10. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 16.11.2008 को समय लगभग 6 बजे एवं बहद स्थान बंजरिया थाना शीशगढ़ जिला बरेली में वादिनी मुकदमा श्रीमती मोरकली व उसके पति को खुरपी से मारपीटकर साधारण उपहति कारित किया, वादिनी मुकदमा एवं उसके पति को मारपीट कर साधारण उपहति कारित किया और वादिनी मुकदमा को गंदी गंदी गालियां देकर प्रकोपित व अपमानित किया।

11. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने कथानक को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करना होता है।

12. अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी0डब्लू0 01, मोरकली (वादिनी मुकदमा/शिकायतकर्ता), साक्षी पी0डब्लू0 02, नरेशपाल सिंह (एफ०आई०आर० लेखक), पी0डब्लू0 03, डॉ0 जय प्रकाश (चिकित्सक), पी0डब्लू0 04, चेताराम (मजरूब व गवाह) एवं पी0डब्लू0 05, जसबन्त सिंह रन्धावा (विवेचक) को परीक्षित कराया गया है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिरोपित आरोपों के सन्दर्भ में उक्त साक्षियों के साक्ष्य का विवेचन किया जायेगा कि अभियोजन पक्ष उक्त साक्ष्य से अपने कथानक को किस हद तक सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

13. दौरान बहस किये गये विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का मूल्यांकन मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में विश्लेषण के दौरान यथास्थान किया जायेगा।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 01, मोरकली (वादिनी मुकदमा/शिकायतकर्ता) ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि, “घटना आज से लगभग पांच साल होने को है। समय करीब शाम 6 बजे का था। मुल्जिमान मेरे मकान के पीछे कुर्सीयान में नाली खोद रहे थे। मैंने मना किया नाली अभियुक्त सुन्दर लाल व राजीव खोद रहे थे। नाली खोदने से मना करने पर मुल्जिमानों ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी। मुल्जिम सुन्दर लाल के हाथ में खुरपी थी, उन्होंने मुझे खुरपी मारी जो मेरे बाये हाथ के अंगूठे और कनिष्ठ उंगली में लगी। मारपीट के समय मेरे पति बचाने आये, तो राजीव ने मेरे पति के सिर में लाठी मारी। मारपीट के समय हम लोगों को बचाने मेरे ससुर विद्याराम व असलम तथा अन्य लोग आये थे। मुल्जिमान जाते समय कह रहे थे कि हम नाली यही खोदेंगे और तुम लोगों को जान

से मार देंगे। उसके बाद मैं अपने पति व परिवार वालों के साथ उसी दिन थाने गयी थी तथा डाक्टरी भी उसी दिन हुई थी। मेरी तथा मेरे पति की डाक्टरी सरकारी अस्पताल बहेड़ी में हुई थी। थाने पर मैंने जुबानी सूचना देकर रिपोर्ट अपना निशाली अंगूठा लगाकर लिखाई थी। रिपोर्ट की कार्बन प्रति पत्रावली में संलग्न है। जिसपर निशाली अंगूठा लगा है। साक्षी ने तस्दीक किया, जिसपर प्रदर्श क-1 डाला गया। डाक्टरी रिपोर्ट इन लोगों ने दरोगा जी को दे दिया था। दरोगा जी ने हम लोगों से पूछताछ की थी तथा दरोगा जी ने मौके का मुआयना किया था।"

15. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी पी0 डब्लू0 01, मोरकली (वादिनी मुकदमा/शिकायतकर्ता) से जिरह की गयी। जिरह में इस साक्षी ने कथन किया कि, "मुझे गवाही का सम्मन मिला था। सम्मन ग्राम बंजरिया में मिला था। मैं गवाही देने ग्राम बंजरिया से आयी हूँ। मैं अपनी मोटर साईकिल से आयी हूँ। बंजरिया से न्यायालय आने तक एक घन्टा लगा था। मैं गवाही सुन्दर लाल आदि के मुकदमे गवाही दे रही हूँ। यह झगड़ा करीब पांच साल पुराना है। अब मैं हल्द्वानी रह रही हूँ। बंजरिया वाला मकान छोड़े चार साल हो गये है। बंजरिया वाले मकान का दरवाजा गंगा की तरफ है। पहाड़ की तरफ हमारे ससुर का मकान है। पश्चिम में असलम का मकान है। हमारे मकान का रास्ता पश्चिम दिशा को है। झगड़ा 6 बजे का है। झगड़ा जाड़ों के दिनों का है। जाड़ों में दिन छोटा होता है। हमारे मकान के पश्चिम में सुन्दर लाल और राजीव का मकान है। झगड़ा पुट्टीमान को खोदकर नाली निकालने पर हुआ था। हमने मना किया था कि नाली मत निकालो। झगड़े वाले दिन मेरे पति, ससुर और मैं घर पर मौजूद थे। झगड़े के समय मेरे पति व ससुर मौजूद थे। पुट्टीमान खोदन को मैंने मना किया था। ये लोग खड़े रहे थे। पुट्टीमान खुरपी से खोद रहे थे। उसी समय खोद रहे थे। झगड़े के समय काफी लोग थे। बीच बचाव करने वालों में आस पड़ोस के असलम, नायर थे। मेरे परिवार के तीन लोग थे। राजीव के परिवार के दो लोग थे। पांचों लोगों में काफी देर तक झगड़ा हुआ था। झगड़े में मेरे पति व मेरे चोटे आयी थी। पुट्टीमान खोदने के समय मेरे पति मौजूद थे। मैंने मुल्जिमानों को पुट्टीमान खोदने से मुंह से मना किया था, तो मुल्जिमान मुझे मारने लगे। ससुर शोर गुल सुनकर बाहर आ गये, उन्होंने खुरपी मुझे मारी तो मेरे खुरपी पकड़ ली थी। पति मेरे मौके पर थे। उन्हें भी मारा था। मेरे पति व ससुर ने राजेश व सुन्दर लाल को मारने से रोका था। घटना के समय सूरज नहीं था। घटना के तुरन्त बाद हम लोग थाने चले गये थे। थाने मेरे पति, ससुर तथा मैं आयी थी। थाने में रिपोर्ट मैंने बोलकर लिखायी थी। मेरे पति व ससुर मेरे पास ही खड़े थे। रिपोर्ट पर अंगूठा मैंने ही लगाया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। बयान थाने पर लिखे थे और घर पर लिखे थे। पति व ससुर के बयान भी थाने पर लिखे थे। उसके बाद हम लोग हल्द्वानी रहने लगे थे, जो घटना के एक साल बाद गये थे। वर्तमान समय में मैं हल्द्वानी रह रही हूँ। जो कमाने खाने के लिये गये हुए है। आज मैं ग्राम बंजरिया से गवाही हेतु आयी हूँ। मैं अपने पति व ससुर की गवाही कराना चाहती हूँ तथा एक असलम की गवाही भी कराना चाहती हूँ। असलम मेरे गांव में रहते हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। असलम मेरे घर पर आते जाते है। असलम मेरे घर कभी कभार आते जाते रहते है। मुल्जिमान सुन्दर लाल व राजीव से इस घटना से पहले कोई विवाद नहीं हुआ था। पुट्टीमान अभी बना हुआ है और नाली चल रही है। नाली कच्ची है। इसके बाद कोई नाली का विवाद नहीं हुआ है। यह कहना गलत है कि मैंने मुल्जिमानों को झूठा फंसाने के लिए यह झूठा मुकदमा लिखाया है।"

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0 02, नरेशपाल सिंह (एफ0 आई0 आर0 लेखक) ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि, "दिनांक 17.11.2008 को मैं बतौर सी0 सी0 थाना शीशगढ़ पर तैनात था। इस दिन वादिनी मोरकली पत्नी चेताराम निवासी बंजरिया थाना शीशगढ़ के जुबानी बोलने पर मैंने एन0 सी0 आर0 80/2008 किता की थी, जो उसने बोला था वहीं मैंने लिखा था। एन0 सी0 आर0 सं0 80 की छायाप्रति मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जो घटना के मुताबिक है, तस्दीक करता हूँ। मैंने अपराध का खुलासा जी0 डी0 की रपट सं0 21 पर उसी दिन उसी समय अपने लेख व हस्ताक्षर में किया था। जी0 डी0 की सत्यप्रतिलिपि मेरे लेख व हस्ताक्षर में शामिल पत्रावली है। पुष्टि करता हूँ। जिसपर प्रदर्श क-2 डाला गया। मैंने उक्त अपराध में धारा 324 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी होने पर अपराध सं0

312/2008 धारा 324,323,504 भा०दं०सं० का खुलासा जी०डी० की रपट सं० 26 पर समय 16:45 पर अपने लेख व हस्ताक्षर में दिनांक 25.11.2008 को किया था। तरमीमी जी०डी० की कार्बन प्रति मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जो मुताबिक घटना है। जो घटना के साथ एक ही प्रोसेस में मैंने तैयार की थी। जिसकी पुष्टि करता हूँ। जिसपर प्रदर्श क-3 डाला गया है। एन०सी० आर० सं० 80 को तरमीम धारा 324 भा०दं०सं० से अपराध सं० 312/2008 में मैंने किया था। विवेचक एस०आई० श्री जसबन्त सिंह रन्धावा था। विवेचना मेरी तैनाती के दौरान पूरी हो गयी थी। थाना शीशगढ़ पर मैं करीब 3 साल तक तैनात रहा। मैं दिनांक 16.06.2009 को थाना शीशगढ़ स्थानांतरण पर ऑवला के लिये रवाना हो गया था। मुझे ध्यान नहीं है कि मेरे स्थानांतरण के समय एस०आई० जसबन्त सिंह रन्धावा तैनात थे या नहीं।

17. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 03, जय प्रकाश (चिकित्सक) ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि, "मैं दिनांक 17.11.2008 को बहेड़ी सी०एच०सी० में मेडिकल आफिसर के पद पर तैनात था। उस दिन दिनांक 17.11.2008 समय 07:45 पी०एम० पर मोरकली उम्र 21 वर्ष पत्नी चेताराम, निवासी ग्राम बंजरिया थाना शीशगढ़ जिला बरेली का मेडिकल परीक्षण किया। उस समय थाने से रिपोर्ट लिखाकर लायी थी। मैंने निम्न चोटे पायी:-

चोट सं० 1- कटा हुआ जखम 2 सेंटीमीटर गुणा 0.5 सेंटीमीटर मांस पेशी तक गहरा, जो बाये हाथ की छोटी अंगुली पर आयी थी। चोट के किनारे धारदार व स्पष्ट थे। जमा हुआ खून था। जखम लाल रंग का था।

चोट सं० 2- कटा हुआ जखम 1 सेंटीमीटर गुणा 0.5 सेंटीमीटर मांस पेशी तक गहरा बाये अंगूठे पर आगे की ओर बीच के हिस्से में था। किनारे धारदार व स्पष्ट थे। चोट का रंग लाल था। मेरी राय में दोनों चोटे धारदार हथियार से आनी संभव है। दोनों चोटे साधारण प्रकृति की व लगभग 1 दिन पुरानी थी। जखम प्रतिवेदन मेरे लेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी है। चुटहिल का अंगूठा प्रमाणित है। इसे प्रदर्श क-5 अंकित किया जाता है।

उसी समय समय 07:50 बजे पर मेरे द्वारा चुटहिल चेताराम उम्र 25 वर्ष पुत्र प्रेमराज निवासी ग्राम बंजरिया थाना शीशगढ़ जिला बरेली का चोटों का परीक्षण किया। निम्न चोटे पायी:-

चोट सं० 1- फटा हुआ जखम जो 3 सेंटीमीटर गुणा 0.5 सेंटीमीटर मांस तक गहरा सिर के बायी ओर बाये कान से 8 सेंटीमीटर उपर था। जखम पर जमा हुआ खून था तथा रंग लाल था। मेरी राय में यह चोट किसी लाठी डंडे से आना संभव है। चोट साधारण प्रकृति की व एक दिन पुरानी है। रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसपर प्रदर्श क-4 अंकित किया जाता है।

18. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी पी०डब्लू० 03 जयप्रकाश (चिकित्सक) से जिरह की गयी। जिरह में इस साक्षी ने कथन किया कि, "होमगार्ड लेकर नहीं आया। स्वयं थाने की चिट्ठी लेकर मजरूब आए थे। उनके साथ कोई और आया था या नहीं। मैं नहीं बता सकता। चोट खुली हुई आयी थी। एक दिन पुरानी चोट होगी। थक्का जमा हुआ था। ये चोटे खुरपी पर गिरने से आना संभव नहीं है। उम्र चोटों की रक्त की थक्के से बतायी जाती है।"

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 04, चेताराम (मजरूब गवाह) ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि, "घटना आज से 10 साल पुरानी शाम 6 बजे की है। हमारे मकान के पीछे बने पुस्टीमान को काटकर मुल्जिमान राजीव व सुन्दर लाल पुत्रगण नत्थूलाल अपने घर का पानी निकालने के लिए मिट्टी निकाल रहे थे। मेरी पत्नी मोरकली के मना करने पर मुल्जिमान ने गंदी गंदी गालियां देने लगे। गालियां देने से मना करने पर दोनों ने लात घूसों व खुरपी से मारपीट कर घायल कर दिया। पत्नी का शोर सुनकर बचाने के लिए मैं मौके पर गया, तो मुझे भी मुल्जिमानों ने मारा पीटा। राजीव ने मुझे लाठी से मारा, जिससे मेरे सिर में चोट आयी। सुन्दर लाल ने मेरी पत्नी को खुरपी मारा, जिससे उसकी उंगली व अंगूठे में चोट आयी। हमारे शोर करने पर विद्याराम व असलम आ गये और हमने उनसे बचाया और अभियुक्त अपने घर में चले गये। मैं और मेरी पत्नी रिपोर्ट लिखाने थाने गये। रिपोर्ट मेरी पत्नी ने बोलकर लिखायी थी। डाक्टरी कराने सरकारी अस्पताल बहेड़ी में करायी थी। घटना के

संबंध में दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ की थी और मेरा बयान लिया था व घटना स्थल का मौका मुआयना किया था।"

20. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी पी0 डब्लू0 04, चेताराम (मजरूब गवाह) से जिरह की गयी। जिरह में इस साक्षी ने कथन किया कि, "मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गांव बंजरिया में मेरा मकान 15 साल पुराना बना हुआ है। मकान मेरे पिताजी ने बनवाया था। मेरे मकान का पानी पीछे नहीं गिरता है। राजीव, सुन्दर लाल का पानी निकलता था बाद में कहा कि नहीं निकलता था। पुट्टीमान 9 इंच चौड़ा है। मेरे मकान के पीछे पुट्टीमान उसके बाद में खरंजा है। मेरे मकान के पश्चिम में सुन्दर लाल का मकान है। दरवाजा दक्षिण में लगा हुआ है। रास्ते में खरंजा पड़ा हुआ है। मकान से उत्तर में कोई रास्ता नहीं गया है। पानी की नाली उत्तर में है, जो राजेन्द्र के मकान से दक्षिण पूर्व को नाली गयी है। मुल्जिमान का दरवाजा पश्चिम की ओर कच्ची रोड़ है। मेरे मकान के पीछे अपने नल का पानी पुट्टीमान काटकर निकाल रहे थे। सुन्दर लाल व राजीव का मकान कितना पुराना है। मुझे नहीं पता है। घटना के पूर्व नाहर का मकान है। पश्चिम सुन्दर लाल उसका नाम ध्यान नहीं है। दक्षिण में जानकी व विद्याराम का मकान है। मुल्जिमानों ने अपना मकान कितने दिन पहले बेंच दिया मुझे जानकारी नहीं है। मैंने अपना मकान नहीं बेंचा है। मकान में ताला पड़ा है। जब घटना हुई तब मैं अपने घर में था। घटना के समय मौसम सर्दी का था। थाने में घटना वाले दिन 7 बजे पहुंचे थे। तहरीर थाने में लिखकर दी थी। अंगूठा मेरी बीबी ने लगाया होगा। असलम व विद्याराम मेरे साथ थाने नहीं गया था। मेरे पापा और मैं व बीबी थाने गये थे। थाना हमारे यहां से 8 कि० मीटर होगा। वहां पहुंचने में आधा घंटा लगता है। रोड़ कच्चा है। थाने से हम लोग बहेड़ी आये। हमार घर मुल्जिमान के घर से 10, 12 कदम दूर होगा। सुन्दर लाल के मकान का बरसात का पानी निकलता है। नल का पानी नहीं निकलता था। नल का पानी मुल्जिमान का घर में कच्चा गड्डा खोदकर इकट्ठा होता था। थाने से अस्पताल के जाने से पुलिसवाला आया था। बस में बैठकर आये थे। पुलिसवाले साथ में थे। पुलिसवाले जान पहचान के नहीं थे। मेडिकल बहेड़ी कराया था। अस्पताल करीब पौने आठ बजे आये थे। असलम मेरे साथ डाक्टरी कराने नहीं आये थे। डाक्टर साहब को कोई पैसा नहीं दिया था। थाना शीशगढ़ से मेडिकल कराने कितने बजे चले थे ध्यान नहीं है। थाना शीशगढ़ से आने में कितना समय लगता है ध्यान नहीं है। मुझे हल्द्वानी रहते 4 साल हो गये। मेडिकल कराने के बाद हम अपने घर गये थे। घर पर कितने समय पहुंचे समय याद नहीं है। घर पर ही रहे। दरोगा जी ने बयान मेरे कहा लिये इसकी मुझे जानकारी नहीं है। नक्शा बनाने दरोगा जी आये थे। तारीख व दिन का ध्यान नहीं है। घटना वाले दिन सुन्दर लाल किस रंग के कपड़े पहने था। मुझे ध्यान नहीं है। चप्पल पहने हुए थे। चप्पले सुन्दर लाल व राजीव किस रंग की पहने थे यह ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान अपनी नाली साफ कर रहे थे। यह कहना गलत है कि नाली साफ करते समय धक्का मुक्की में चोटे लगी हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान सुन्दर लाल से खुरपी छीनने के चक्कर में चोटे आयी हो। यह कहना गलत है कि मैं असलम व विद्याराम के कहने में झूठा मुकदमा लिखाया हो। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

21. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी० डब्लू० ०५, जस्वन्त सिंह रन्धावा (विवेचक) ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि, "दिनांक 25.11.2008 को मैं एस० आई० के पद पर थाना शीशगढ़ में तैनात था। दिनांक 26.11.2008 को मुझे अपराध सं० 312/2008 धारा 323,324,504 भा०दं०सं० थाना शीशगढ़ सरकार बनाम सुन्दर लाल आदि की विवेचना प्राप्त हुई थी। दिनांक 26.11.2008 को मेरे पास पर्चा 1 में नकल एन० सी० आर० 80/2008, नकल रपट एन० सी० आर०, नकल मेडिकल, मेडिकल वादिनी मोरकली पत्नी चेताराम एवं नकल मेडिकल चेताराम पुत्र प्रेमराज निवासीगण ग्राम बंजरिया थाना शीशगढ़ व नकल रपट मुकदमा कायमी, बयान लेखक, एफ० आई० आर० लेखक कां० नरेशपाल अंकित किये गये थे। दिनांक 27.11.2008 बयान वादिनी श्रीमती मोरकली व बयान गवाह चेताराम निरीक्षण घटना स्थल अंकित किया गया। दिनांक 20.11.2008 पर्चा तीन में बयान गवाह विद्याराम एवं असलम व गिरफ्तारी अभियुक्तगण सुन्दर लाल व राजू उर्फ राजीव पुत्रगण नत्थूलाल निवासीगण बंजरिया

थाना शीशगढ़ तथा नकल जमानतनामा अभियुक्तगण व नकल रपट गिरफ्तारी एव रिहाई तथा उसी दिन पर्चा तीन ए में आरोप पत्र सं० 103/2008 अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रेषित किया गया था। मेरे द्वारा वादिनी मोरकली की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था। मेरे द्वारा नक्शा नजरी तैयार किया गया, जो मेरे हस्तलेख में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिसपर प्रदर्श क-6 डाला गया। जिसकी मूल प्रति संलग्न पत्रावली है। मेरे द्वारा आरोप पत्र तैयार किया गया। मेरे हस्तलेख में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिसपर प्रदर्श क-7 डाला गया, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिसकी मूल प्रति पत्रावली में संलग्न है।"

22. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी पी० डब्लू० 05, जसवन्त सिंह रन्धावा (विवेचक) से जिरह की गयी। जिरह में इस साक्षी ने कथन किया कि, "मैं सन 2008 में अगस्त माह से थाना शीशगढ़ में तैनात था। मैं मार्च 2009 तक तैनात रहा था। इस केस की विवेचना मुझे 26.11.2008 को मिली थी। मैं दिनांक 27.11.2008 एव 30.11.2008 को ग्राम बंजरिया में बयान लेने गया था। जब मैं दिनांक 27.11.2008 को बयान लेने गया। थाने से खानगी कराकर कां० रमेशचन्द्र को साथ लेकर गया था। समय ध्यान नहीं है। घटना स्थल पर किस समय पहुंचा समय ध्यान नहीं है। दिन में पहुंचा था। घटना स्थल पर जब पहुंचा तो मुकदमा वादिनी और उसका पति चेताराम घर पर मिले थे। 27.11.2008 को बयान वादिनी मोरकली एवं गवाह चेताराम के बयान नोट किये थे। जिसका मेरे द्वारा पर्चा II में सी० डी० में इन्द्राज किया गया है। मेरे द्वारा घटना स्थल का नक्शा उसी दिन 27.11.2008 को बनाया गया था। जब नक्शा बनाया गया तो मौके पर काफी लोग मौजूद थे। जिन लोगों से पूछताछ की थी। उन लोगों ने घटना को देखना नहीं बताया। सुनना बताया था। घटना स्थल से पूर्व में वादिनी का घर पश्चिम में अभियुक्तों का घर है। उत्तर में कच्ची गली आनन्द पाल आदि के घर के लिए दक्खिन में गांव में खरंजे के लिए कच्ची गली जाती है। वादिनी के मकान से घटना स्थल दीवार से मिला हुआ है। मुल्जिमानों का घर घटना स्थल से चार पांच कदम दूरी पर होगा। रफ्तार के आधार पर समय का निर्धारण किया जा सकता है। मैं दोबारा दिनांक 30.11.2008 को गवाहों के बयान लेने गया था। मेरे द्वारा उसी दिन दो गवाहों के बयान एवं अभियुक्त राजीव एवं सुन्दर लाल की गिरफ्तारी की गयी थी। जिस डाक्टर द्वारा मेडिकल किया। उसका बयान मैंने लिया या नहीं ध्यान नहीं है। मेरी खानगी की नकल पत्रावली में संलग्न नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया है और थाने पर बैठकर विवेचना कर दी है।"

23. उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### **साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष**

24. उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण का निम्न धाराओं में विचारण किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न प्रावधान हैं।

**धारा- 504 लोक-शान्ति भंग कराने के प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान-** जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक-शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

**धारा- 323 स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दण्ड-** उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 334 में उपबन्ध है जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

**धारा- 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना-** उस दशा में सिवाय, जिसके लिये धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई असन, बेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या

किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुँचना मानव-शरीर के लिये हानिकारक है, या किसी जीव-जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारवास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

भा.दं.सं. की धारा 321 स्वेच्छया उपहति को परिभाषित करती है। धारा 321 के अनुसार "जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह "स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है।"

25. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही संदिग्ध, विरोधाभासी व विपरीत है। कथित घटना दिनांक 16.11.2008 समय करीब 6 बजे शाम की बताई गई है तथा रिपोर्ट दिनांक 17.11.2008 को समय 12:50 पी०एम० यानि मेडिकल परीक्षण 7:50 बजे शाम थाना शीशगढ़ पर लिखाई गयी है तथा मोरकली तथा चेताराम का मेडिकल सी०एच०सी० बहेड़ी पर दिनांक 17.11.2008 को समय क्रमशः 7:45 पी०एम० तथा 7:50 पी०एम० पर किया गया है जबकि पी०डब्लू० 1 वादिनी मोरकली ने अपने चीफ में लाइन नम्बर 16,17,18,19 में कहा है कि "उसी दिन यानि 16.11.2008 को थाने गई थी तथा डाक्टरी भी उसी दिन हुई थी। थाने पर मैंने जुबानी सूचना देकर अपना निशानी अंगूठा लगाकर लिखाई थी" तथा पेज नं० 4 लाईन नम्बर 5 व 6 में पुनः कहा है "घटना के तुरन्त बाद हम लोग थाने चले गये थे। कथित घटना की सूचना दर्ज कराने के सम्बन्ध में वादिनी पी०डब्लू० 1 ने अपने चीफ लाईन नम्बर 18-19 में कहा है कि "मैंने जुबानी सूचना देकर रिपोर्ट अपना निशानी अंगूठा लगाकर लिखाई थी जबकि पी०डब्लू० 2 चेताराम ने अपनी प्रति परीक्षा/जिरह में पेज नम्बर 2 की लाईन नम्बर 8 व 9 में कहा है कि "तहरीर थाने में लिखकर दी थी"। पी०डब्लू०, ने अपने चीफ के लाईन नम्बर 14 में कहा है कि झगड़े के समय मेरे पति व ससुर मौजूद थे। जबकि पति चेताराम पी०डब्लू० 4 ने अपने बयान में पेज नम्बर 2 की लाईन नम्बर 7 में कहा है कि "जब घटना हुई तब मैं अपने घर में था।" अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में यह भी कहा गया कि दिनांक 16.11.2008 समय करीब 6 बजे शाम सुन्दर लाल व राजीव घर में जल भराव होने के कारण पानी निकलने के लिए नाली साफ कर रहे थे (उक्त बात की पुष्टि पी०डब्लू० 4 चेताराम के चीफ की लाईन नम्बर 4 व 5 से होती है जिसके अनुसार "मुल्जिम राजीव व सुन्दर लाल अपने घर का पानी निकालने के लिए मिट्टी निकाल रहे थे") न कि पुट्टीमान काटकर नाली बना रहे थे, लेकिन पड़ोस के असलम व नादर जो कि मुल्जिमान से ईर्ष्या रखते थे, मोरकली को यह कहकर कि मुल्जिमान तुम्हारा पुट्टीमान काटकर नाली बना रहे हैं उकसाकर घटनास्थल पर ले आये, चूँकि घटनास्थल पर रोशनी नहीं थी(यह बात बी०डब्लू० ने अपन जिरह में पेज नम्बर 3 लाईन नम्बर 5 में स्वीकृत की है" घटना के समय सूरज नहीं था" और जिरह पेज नम्बर 2 लाईन नम्बर व 10 में कहा है कि "झगड़ा जाड़े के दिनो का है जाड़ों में दिन छोटा होता है") जिससे वह समझ नहीं पाई कि मुल्जिमान नाली साफ कर रहे हैं या पुट्टीमान काटकर नाली से मिट्टी खोद रहे हैं और वह अमादा फसाद हो गई और उसने सुन्दर लाल के हाथ में मौजूद खुरपी पकड़ ली और खुरपी छीनने की कोशिश करने लगी। मुल्जिमान को अंधेरे में यह ज्ञात भी नहीं हो पाया कि इस छीना झपटी में कब और कैसे मोरकली के अंगूठे और कनिष्ठ उंगली में घाव लग गया। थोड़ी देर बाद मोरकली के पति चेताराम व ससुर विद्याराम भी लाठी डंडो से लैस होकर मुल्जिमान पर हमला करने आ गये और मुल्जिमान को मारा (एन०सी०आर० लाईन नम्बर 7 व 8 मैंने उनकी खुरपी पकड़ ली। इतने में मेरे पति आ गये तो उन्होंने भी मारा मुल्जिमान सिर्फ दो व्यक्ति थे जबकि विपक्ष की ओर से 5 व्यक्ति वादिनी, उसका पति चेताराम, ससुर, विद्याराम तथा पड़ोसी असलम व नादर थे ऐसी दशा में पहले उन्होंने ही मुल्जिमान पर हमला किया था(पी०डब्लू० 1 ने पेज नम्बर 2 जिरह की लाईन नम्बर 16,17,18,19 में कहा है कि झगड़े के समय काफी लोग थे,

बीच बचाव करने वालों में आस पड़ोस के असलम, नादर थे। मेरे परिवार के तीन लोग थे। राजीव के परिवार के दो लोग थे। पांचो लोगों में काफी देर तक झगड़ा हुआ था"। चूंकि झगड़ा काफी देर तक हुआ और बीच बचाव किसी की लाठी चेताराम के लग गई या किसी चीज पर गिरने से उसे चोट लग गई इसकी जानकारी मुल्जिमान को नहीं हो पाई। चूंकि वहां अंधेरा था और लोगों ने बीच बचाव कराकर बात खत्म करा दी थी। इसलिए मुल्जिमान भी सीधे अपने घर चले गये। (पी०डब्लू० 4 चीफ लाईन नम्बर 11 और अभियुक्त अपने घर चले गये) अगले दिन कानूनी मशवरे के बाद वादिनी ने मुल्जिमान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी और चूंकि उक्त लोगों की काफी राजनीतिक पहुंच थी इस कारण पुलिस थाना शीशगढ़ ने मुल्जिमान की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पी०डब्लू० 1 ने पेज नम्बर 3 लाईन नम्बर 14 में कहा है कि मैं अपने ससुर व असलम की गवाही कराना चाहती हूं "परन्तु अभियोजन पक्ष ने उक्त गवाहों को प्रस्तुत नहीं किया है और न ही गांव का कोई स्वतन्त्र साक्षी प्रस्तुत किया है वादनी व मुल्जिमान का आपस में समझौता हो गया है समझौतानामा पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है मुल्जिम अधिवक्ता व वादी अधिवक्ता ने बहस दौरान कहा है कि मुल्जिमान का वादनी से समझौता हो गया है। जिससे न्यायालय को सच्चाई ज्ञात हो, वादिनी व चेताराम पति पत्नी हैं और INTRESTED WITNESS हैं। इससे भी घटना संदिग्ध प्रतीत होती है।

26. बहस के दौरान विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त के संबंध में कहा गया कि गवाही संदिग्ध, विरोधाभासी व विपरीत नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। प्रस्तुत मामले के अभिक्तगण द्वारा साक्षी पी.डब्लू.-1 मोरकली (वादिनी मुकदमा) एवं उसके पति साक्षी पी.डब्लू.-4 चेताराम को दिनांक 16.11.2008 को समय करीब 6 बजे शाम ग्राम बंजरिया थाना शीशगढ़ जिला बरेली में पुट्टीमान काटकर नाली से मिट्टी निकालने से मना करने पर अभियुक्त सुन्दर लाल ने वादिनी मुकदमा मोरकली (साक्षी पी.डब्लू.-1) को खुरपी (धारदार हथियार) से मारा जिससे वादिनी मुकदमा के बायें हाथ की छोटी अंगुली पर 2 सेंटीमीटर गुणा 0.5 सेंटीमीटर मांसपेशी तक कटा हुआ जख्म तथा बायें हाथ के अंगूठे पर आगे की ओर बीच के हिस्से में 1 सेंटीमीटर गुणा 0.5 सेंटीमीटर मांसपेशी तक गहरा कटा हुआ जख्म एवं वादिनी मुकदमा मोरकली को जब उसके पति चेताराम बचाने आये तो अभियुक्त राजीव ने वादिनी मुकदमा के पति के सिर में लाठी से मारा। जिससे वादिनी के पति चेताराम के सिर में बाईं ओर बाये कान से 8 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर गुणा 0.5 सेंटीमीटर मांश तक गहरा फटा हुआ जख्म आने सम्बन्धी तथ्य मेडीकल प्रपत्र साक्षी पी.डब्लू.-3 डॉक्टर जय प्रकाश (चिकित्सक) सी.एच.सी बहेड़ी, बरेली द्वारा साबित किया गया है। जिसे क्रमशः प्रदर्श क-5 व प्रदर्श क-4 के माध्यम से साबित कराया गया है। बयानों के अवलोकन से पीड़िता / वादिनी मुकदमा मोरकली को भद्दी भद्दी गालियां देकर अपमानित करने का आरोप बखूबी सिद्ध होता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप की पुष्टि होती है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने का कथन किया गया है।

27. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि एन०सी०आर० में कथित घटना का दिनांक 16.11.2018 समय करीब 6 बजे शाम का है जबकि रिपोर्ट दिनांक 17.11.2008 को समय 12:50 पी०एम० यानि मेडीकल परीक्षण 7:50 बजे शाम को थाना शीशगढ़ पर यानि लगभग 19 घंटे बाद लिखाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराने का कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं है जबकि पी०डब्लू० 2 ने अपनी जिरह में पेज नम्बर 2 पर लाईन नम्बर 10 व 11 में स्पष्ट रूप से कहा है कि "थाना हमारे यहां से 8 किमी होगा। थाना पहुँचने में 01 घंटा लगता है"। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कारित विलम्ब के स्पष्टीकरण के अभाव में अभियोजन मामला संदिग्ध हो जाता है ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कमलेश बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2018 पी०एन०पी० (क्रिमिनल) 259 (इला०) में व्यक्त किया है।

28. उक्त के अनुक्रम में विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना दिनांक 16.11.2008 को समय करीब 6 बजे शाम ग्राम बंजरिया थाना शीशगढ़

बरेली की है तथा उक्त प्रकरण में वादिनी मुकदमा की जुबानी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण सुन्दर लाल व राजीव के विरुद्ध दिनांक 17.11.2008 को समय 12:50 पर एन०सी०आर० दर्ज करायी गयी है। जो अविलम्ब दर्ज करायी गयी है तथा उसी दिन दिनांक 17.11.2008 को मेडिकल भी कराया गया है। एन०सी०आर० दर्ज कराने में कोई भी विलम्ब कारित नहीं हुई है तथा मेडिकल के आधार पर एन०सी०आर० तस्मीम होकर मु०अ०सं० 312/2008 धारा 323,324,504 भा०दं०सं० में पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में प्रदर्श क 1, क 2 व क 3 पत्रावली पर दाखिल हैं।

29. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

30. प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादिनी मुकदमा मोरकली के जुबानी सूचना के आधार पर थाना शीशगढ़ जिला बरेली में अभियुक्तगण सुन्दर लाल एवं राजीव निवासी ग्राम बंजरिया, थाना शीशगढ़, जिला बरेली (उ०प्र०) के विरुद्ध दिनांक 17.11.2008 को थाना शीशगढ़ जिला बरेली में अभियुक्तगण सुन्दर लाल एवं राजीव के विरुद्ध एन०सी०आर० सं० 80/2008 अन्तर्गत धारा 323,504 भा०दं०सं० पंजीकृत हुआ, जो मजरूब के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 324 भा०दं०सं० की वृद्धि कर मु०अ०सं० 312/2008 अन्तर्गत धारा 323,504,324 भा०दं०सं० में तस्मीम हुआ जहाँ अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा दिनांक 16.11.2008 को समय लगभग 6 बजे एवं बहद स्थान बंजरिया थाना शीशगढ़ जिला बरेली में वादिनी मुकदमा श्रीमती मोरकली व उसके पति को खुरपी से मारपीटकर साधारण उपहति कारित किया, वादिनी मुकदमा एवं उसके पति को मारपीट कर साधारण उपहति कारित किया और वादिनी मुकदमा को गंदी गंदी गालियां देकर प्रकोपित व अपमानित किया। अभियुक्तगण सुन्दर लाल व राजीव के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 323,324,504 भा०दं०सं० में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

31. जहां तक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही संदिग्ध, विरोधाभासी व विपरीत है। उक्त के संबंध में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी पी०डब्लू० 1 अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया गया कि घटना आज से लगभग पांच साल होने को है। समय करीब शाम 6 बजे का था। मुल्जिमान मेरे मकान के पीछे कुर्सीयान में नाली खोद रहे थे। मैंने मना किया नाली अभियुक्त सुन्दर लाल व राजीव खोद रहे थे। नाली खोदने से मना करने पर मुल्जिमानों ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी। मुल्जिम सुन्दर लाल के हाथ में खुरपी थी, उन्होंने मुझे खुरपी मारी जो मेरे बाये हाथ के अंगूठे और कनिष्ठ उंगली में लगी। मारपीट के समय मेरे पति बचाने आये, तो राजीव ने मेरे पति के सिर में लाठी मारी। मारपीट के समय हम लोगों को बचाने मेरे ससुर विद्याराम व असलम तथा अन्य लोग आये थे। मुल्जिमान जाते समय कह रहे थे कि हम नाली यही खोदेंगे और तुम लोगों को जान से मार देंगे। उसके बाद मैं अपने पति व परिवार वालों के साथ उसी दिन थाने गयी थी तथा डाक्टर भी उसी दिन हुई थी। मेरी तथा मेरे पति की डाक्टरी सरकारी अस्पताल बहेड़ी में हुई थी। थाने पर मैंने जुबानी सूचना देकर रिपोर्ट अपना निशाली अंगूठा लगाकर लिखाई थी। रिपोर्ट की कार्बन प्रति पत्रावली में संलग्न है। जिसपर निशानी अंगूठा लगा है। साक्षी ने तस्दीक किया, जिसपर प्रदर्श क-1 डाला गया। डाक्टरी रिपोर्ट इन लोगों ने दरोगा जी को दे दिया था। दरोगा जी ने हम लोगों से पूछताछ की थी तथा दरोगा जी ने मौके का मुआयना किया था। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 04, चेताराम (मजरूब गवाह) ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि घटना आज से 10 साल पुरानी शाम 6 बजे की है। हमारे मकान के पीछे बने पुस्टीमान को काटकर मुल्जिमान राजीव व सुन्दर लाल पुत्रगण नत्थूलाल अपने घर का पानी निकालने के लिए मिट्टी निकाल रहे थे। मेरी पत्नी मोरकली के मना करने पर मुल्जिमान ने गंदी गंदी गालियां देने लगे। गालियां देने से मना करने पर दोनों ने लात घूंसों व खुरपी से मारपीट कर घायल कर दिया। पत्नी का शोर सुनकर बचाने के लिए मैं मौके पर गया, तो मुझे भी मुल्जिमानों ने मारा पीटा। राजीव ने मुझे लाठी से मारा, जिससे मेरे सिर में चोट आयी। सुन्दर लाल ने मेरी पत्नी को खुरपी मारा, जिससे उसकी उंगली व अंगूठे में चोट आयी। हमारे शोर करने पर विद्याराम व असलम आ गये और हमने उनसे बचाया और अभियुक्त

अपने घर में चले गये। उक्त साक्षी सं० 1 व 4 प्रस्तुत प्रकरण में मजरूब/पीड़ित हैं उक्त साक्षी सं० 1 मोरकली द्वारा अपने बयानों में यह स्पष्ट किया गया है कि घटनास्थल पर अभियुक्तगण सुन्दर लाल व राजीव उपस्थित थे, मुल्जिम सुन्दर लाल के हाथ में खुरपी थी, उन्होंने मुझे खुरपी मारी जो मेरे बाये हाथ के अंगूठे और कनिष्ठ उंगली में लगी। मारपीट के समय मेरे पति बचाने आये, तो राजीव ने मेरे पति के सिर में लाठी मारी। साक्षी सं० 4 चेताराम द्वारा भी अपने बयानों में यह स्पष्ट किया गया है कि मेरी पत्नी मोरकली के मना करने पर मुल्जिमान गंदी गंदी गालियां देने लगे। गालियां देने से मना करने पर दोनों ने लात घूसों व खुरपी से मारपीट कर घायल कर दिया। पत्नी का शोर सुनकर बचाने के लिए मैं मौके पर गया, तो मुझे भी मुल्जिमानों ने मारा पीटा। राजीव ने मुझे लाठी से मारा, जिससे मेरे सिर में चोट आयी। सुन्दर लाल ने मेरी पत्नी को खुरपी मारा, जिससे उसकी उंगली व अंगूठे में चोट आयी। उक्त के अतिरिक्त उक्त साक्षीगण/मजरूब के द्वारा कराये गये चिकित्सीय परीक्षण के तथ्य को भी अपने साक्ष्य में पुष्ट किया गया है। मजरूबों के चोटों की पुष्टि साक्षी पी०डब्लू० 03, जय प्रकाश (चिकित्सक) के बयानों से भी होती है जिसमें कहा गया कि उस दिन दिनांक 17.11.2008 समय 07:45 पी०एम 0 पर मोरकली उम्र 21 वर्ष पत्नी चेताराम, निवासी ग्राम बंजरिया थाना शीशगढ़ जिला बरेली का मेडिकल परीक्षण किया। मैंने निम्न चोटे पायी:- चोट सं० 1- कटा हुआ जख्म 2 सेंटीमीटर गुणा 0.5 सेंटीमीटर मांस पेशी तक गहरा, जो बाये हाथ की छोटी अंगुली पर आयी थी। चोट के किनारे धारदार व स्पष्ट थे। जमा हुआ खून था। जख्म लाल रंग का था। चोट सं० 2- कटा हुआ जख्म 1 सेंटीमीटर गुणा 0.5 सेंटीमीटर मांस पेशी तक गहरा बाये अंगूठे पर आगे की ओर बीच के हिस्से में था। किनारे धारदार व स्पष्ट थे। चोट का रंग लाल था। मेरी राय में दोनों चोटे धारदार हथियार से आनी संभव है। दोनों चोटे साधारण प्रकृति की व लगभग 1 दिन पुरानी थी। जख्म प्रतिवेदन मेरे लेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी है। जिसपर प्रदर्श क-5 अंकित किया गया है। उसी समय 07:50 बजे पर मेरे द्वारा चुटहिल चेताराम के चोटों का परीक्षण किया। निम्न चोटे पायी:- चोट सं० 1- फटा हुआ जख्म जो 3 सेंटीमीटर गुणा 0.5 सेंटीमीटर मांस तक गहरा सिर के बायी ओर बाये कान से 8 सेंटीमीटर उपर था। जख्म पर जमा हुआ खून था तथा रंग लाल था। मेरी राय में यह चोट किसी लाठी डंडे से आना संभव है। चोट साधारण प्रकृति की व एक दिन पुरानी है। जिसपर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया है।

32. उपरोक्त साक्ष्यों के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त साक्षियों पी०डब्लू० 1 मोरकली (वादिनी मुकदमा/शिकायतकर्ता), पी०डब्लू० 4 चेताराम (मजरूब व गवाह) द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है। साक्षी पी०डब्लू० 1 मोरकली द्वारा एन०सी०आर० प्रदर्श क 1 को अपने साक्ष्य से साबित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू० 3 (चिकित्सक) द्वारा मजरूबो पी०डब्लू० 1 मोरकली व पी०डब्लू० 4 चेताराम के चोटो व मेडिकल परीक्षण की पुष्टि की गयी तथा जिसपर क्रमशः प्रदर्श क-5 व प्रदर्श क-4 डाला गया है। साक्षी पी०डब्लू० 2 नरेश पाल सिंह (एफ०आई०आर०) लेखक द्वारा जी०डी० रपट सं० 21 समय 12.50 बजे प्रदर्श क-2, तरमीमी जी०डी० कार्बन प्रति रपट सं० 26 समय 16.45 बजे प्रदर्श क-3, की पुष्टि की गयी है तथा साक्षी पी०डब्लू० 5 जसवन्त सिंह रन्धावा (विवेचक) द्वारा नक्शा नजरी घटनास्थल व आरोप पत्र की पुष्टि कर क्रमशः प्रदर्श क 6 व प्रदर्श क 7 डाला गया है। मात्र गवाहों का यह कथन कि सूचना व डॉक्टरी उसी दिन हुई थी या अगले दिन मामले को दूषित नहीं करता। जबकि अन्य सम्पुष्टिकारक साक्ष्यों से घटना की पुष्टि होती है।

33. जहां तक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है तथा देरी का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कारित विलम्ब के स्पष्टीकरण के अभाव में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है। ऐसा मत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कमलेश बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2018 पी०एन०पी० (क्रिमिनल 259) इला० में व्यक्त किया गया। तो उक्त के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **अमर सिंह बनाम बलविन्द्र सिंह व अन्य, 2003 (46) ACC 619** उल्लेखनीय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि, “ऐसा कोई सख्त नियम नहीं हो सकता जिसके आधार पर एफ०आई०आर०

दर्ज होने में हुए विलंब मात्र से अभियोजन संदेह के घेरे में आ जाएगा यदि चक्षुदर्शी साक्षीगणों का साक्ष्य विश्वसनीय है।"

34. बहस के दौरान अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू० 1 ने पेज नम्बर 3 लाईन नम्बर 14 में कहा है कि मैं अपने ससुर व असलम की गवाही कराना चाहती हूँ "परन्तु अभियोजन पक्ष ने उक्त गवाहों को प्रस्तुत नहीं किया है और न ही गांव का कोई स्वतन्त्र साक्षी प्रस्तुत किया है। वादिनी व चेताराम पति पत्नी हैं और INTRESTED WITNESS हैं। इससे भी घटना संदिग्ध प्रतीत होती है।

35. उक्त के संबंध में **याकूब इस्माईल भाई पटेल बनाम गुजरात राज्य (2004) 12 एस०सी०सी० 299 पेज 55** इस विधि में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य के संबंध में सुस्थापित विधि की स्थिति यह है कि ऐसे साक्ष्य के आधार पर जो विश्वासोत्पादक है, दोषसिद्धि का आदेश पारित कर सकता है।

36. जहां तक साक्षी पी०डब्लू० 1 मोरकली (वादिनी मुकदमा/शिकायतकर्ता) व पी०डब्लू० 4 चेताराम (मजरूब) के संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क है कि वादिनी व चेताराम पति पत्नी हैं और हितबद्ध साक्षी हैं। तो उक्त के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 वादिनी मुकदमा व उसका पति पी०डब्लू० 2 चुटहिल साक्षी हैं तथा चुटहिल साक्षी के साक्ष्य के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था अब्दुल सईद बनाम एम०पी० स्टेट 2010 एस०सी०सी० 259 पेज 210 में यह अवधारित किया गया है कि चोटहिल साक्षी के साक्ष्य को अत्यधिक महत्व दिया जाना आवश्यक है। यदि इस साक्षी के बयान में कोई विरोधाभास न हो तो यह माना जायेगा कि घटना के समय व स्थान पर उसकी उपस्थिति निःसंदेह थी। ऐसे चोटहिल साक्षी का साक्ष्य अत्यधिक विश्वसनीय होता है और इस बात की संभावना बहुत कम है कि एक चोटहिल साक्षी अपने असली हमलावर को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को फंसायेगा। इस चोटहिल साक्षी का साक्ष्य विधि में विशेष महत्व रखता है तथा ऐसे साक्षी का साक्ष्य उसकी घटना व स्थान पर होने के तथ्य को संदेह से परे साबित करता है।

37. प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 मोरकली (वादिनी मुकदमा/शिकायतकर्ता) व पी०डब्लू० 4 चेताराम (मजरूब) का बयान ठोस व विश्वसनीय है जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई युक्तियुक्त व पर्याप्त आधार नहीं है। उक्त साक्ष्यों द्वारा घटना को पूर्ण रूप से साबित किया गया है। उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति निःसंदेह साबित है। ऐसी परिस्थितियों में किसी स्वतन्त्र साक्षी के साक्ष्य न होने के आधार पर सच्चे घटनाक्रम को झुठलाया नहीं जा सकता है तथा इस संबंध में प्रस्तुत तर्क बलहीन है।

38. उपरोक्त के अवलोकन के उपरान्त अभियुक्तगण सुन्दर लाल व राजीव द्वारा वादिनी मुकदमा मोरकली एवं उसके पति जिसे अभियोजन द्वारा क्रमशः साक्षी पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 4 के रूप में परीक्षित कराया गया है को खुरपी व लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया, वादिनी मुकदमा व उसके पति को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया गया तथा वादिनी मुकदमा को गन्दी गन्दी गालियां देकर अपमानित किया गया है। उक्त के संबंध में साक्षियों के बयान ठोस व विश्वसनीय हैं तथा इन बयानों में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता है।

39. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 16.11.2008 को समय लगभग 6 बजे एवं बहद स्थान बंजरिया थाना शीशगढ़ जिला बरेली में वादिनी मुकदमा श्रीमती मोरकली व उसके पति को खुरपी व लाठी से मारपीटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया, वादिनी मुकदमा एवं उसके पति को मारपीट कर साधारण उपहति कारित किया और वादिनी मुकदमा को गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित किया। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण सुन्दर लाल एवं राजीव पुत्रगण नत्थू लाल, निवासी ग्राम बंजरिया, थाना शीशगढ़, जिला बरेली के विरुद्ध धारा 323,324,504 भा०दं०सं० के अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है एवं अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

### आदेश

अभियुक्तगण सुन्दर लाल एवं राजीव पुत्रगण नत्थू लाल, निवासी ग्राम बंजरिया, थाना शीशगढ़, जिला बरेली को धारा 323,324,504 भा०दं०सं० के अपराध से दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के जमानत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक-14.03.2024

(विजय शंकर गौतम)

सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बहेड़ी, बरेली।

पत्रावली लंचोपरान्त सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई।

दोषी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सजा के प्रश्न पर सुना गया।

दोषी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि दोषी की कोई पूर्व दोषसिद्धी नहीं है। यह विचारण लगभग 16 साल चला है। ऐसी परिस्थिति में दोषी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना मानवीय दृष्टिकोण से न्यायोचित होगा।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त का विरोध करते हुए कथन किया गया कि दोषी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा कठोर से कठोर सजा दी जाए एवं उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ न दिया जाए।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त प्रकरण सन् 2008 से लंबित है एवं दोषी उक्त प्रकरण में नियमित रूप से न्यायालय उपस्थित हुए हैं व न्यायालय की प्रक्रिया को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया है।

इस मामले में दोषियों पर यह आरोप सिद्ध हुआ है कि कथित घटना दिनांक 16.11.2008 को समय लगभग 6 बजे एवं बहद स्थान बंजरिया थाना शीशगढ़ जिला बरेली में वादिनी मुकदमा श्रीमती मोरकली व उसके पति को खुरपी व लाठी से मारपीटकर साधारण उपहति कारित किया, वादिनी मुकदमा एवं उसके पति को मारपीट कर साधारण उपहति कारित किया और वादिनी मुकदमा को गंदी गंदी गालियां देकर प्रकोपित व अपमानित किया। दोषियों के इस कृत्य से यह पता चलता है कि वह बेहद दुस्साहसिक हैं, उनके मन में कानून का कोई भय नहीं है तथा यदि उन्हें किसी व्यक्ति का कोई कार्य उन्हें पसंद नहीं आता तो वे उस पर हमला करने से गुरेज नहीं रखते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दोषियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दोषियों के घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। चूंकि दोषियों के वार से साक्षी पी०डब्लू० 1 मोरकली (वादिनी मुकदमा) व उसके पति पी०डब्लू० 4 चेताराम (मजरूब) को खुरपी व लाठी द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित की गयी है, वादिनी मुकदमा व उसके पति को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गयी तथा वादिनी मुकदमा मोरकली को गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित किया गया है। दोषियों के कृत्य की प्रकृति के आधार पर उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण सुन्दर लाल व राजीव को धारा 324 भा०दं०सं० के अपराध के लिए **छः माह का साधारण कारावास** तथा **दो हजार रुपये के अर्थदण्ड** व अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में **एक माह का साधारण कारावास** तथा एवं धारा 504 भा०दं०सं० के अपराध के लिए **एक माह का साधारण कारावास** तथा **एक हजार रुपये के अर्थदण्ड** व अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में **10 दिवस का साधारण कारावास** तथा 323 भा०दं०सं० के अपराध के लिए **एक माह का साधारण कारावास** तथा **एक हजार रुपये के अर्थदण्ड** व अर्थदण्ड अदा न करने पर **10 दिवस का साधारण कारावास** से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

सुन्दर लाल व राजीव को धारा 324 भा०दं०सं० के अपराध के लिए **छः माह का**

साधारण कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में एक माह का साधारण कारावास तथा एवं धारा 504 भा०दं०सं० के अपराध के लिए एक माह का साधारण कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में 10 दिवस का साधारण कारावास तथा 323 भा०दं०सं० के अपराध के लिए एक माह का साधारण कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

यदि प्रस्तुत मामले में दोषी-पूर्व में जेल में निरुद्ध रहा हो तो उक्त निरुद्ध की अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। उक्त सजायें एक साथ चलेगी।

मामले के सभी प्रदर्श अपील की अवधि समाप्त होने तक सुरक्षित किये जाये।

इस निर्णय की एक प्रति दोषी अथवा उनके अधिवक्ता को नियमानुसार निःशुल्क तुरन्त दी जाये।

दिनांक:-14.03.2024

(विजय शंकर गौतम)

सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बहेड़ी, बरेली।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक:-14.03.2024

(विजय शंकर गौतम)

सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बहेड़ी, बरेली।